प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(उ0शि0), उ0प्र0
डिग्री अर्थ–1(आयोग) अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : डिग्री अर्थ–1(आयोग)/ 990/2017–18 दिनांक 10/11/2017

विषय : मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या– 48446/2017 श्री आदित्य कुमार सिंह व 07 अन्य बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.10.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक : डिग्री अर्थ–2(आयोग)/4427/2017–18 दिनांक 21.09.2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विज्ञापन संख्या– 46 में विभिन्न विषयों के चयनित अभ्यर्थियों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में यह निर्देशित किया गया था कि सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र/प्राचार्य द्वारा उनके सभी शैक्षणिक अभिलेखों एवं जाति प्रमाण–पत्र का सत्यापन कराकर सत्यापन प्रमाण–पत्र की एक प्रति सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही वेतन भुगतान किया जाय।

इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या– 48446/2017 श्री आदित्य कुमार सिंह व 07 अन्य बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.10.2017 में इस आशय का आदेश पारित किया है कि सम्बन्धित प्राधिकारी नियुक्त हुए एवं कार्यरत अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों का सत्यापन की प्रक्रिया जारी रखे परन्तु उनका वेतन नहीं रोका जायेगा यदि उन्होंने नियुक्त पत्र निर्गत होने के उपरान्त कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है और यदि उनके अभिलेखों की सत्यता में कोई विसंगति न हों।

मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा यथाशीघ्र उनके अभिलेखों का सत्यापन भी कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

डा0(आर0पी0 सिंह)
शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा
उ0प्र0, इलाहाबाद।